

किसान भाइयों एवं बहनों के लिए आवश्यक सूचना

कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन का अवसर

खरीफ 2020 में हुई अत्याधिक वर्षापात के कारण आई बाढ़ से हुई फसल क्षति वाले 17 जिलों के प्रतिवेदित 206 प्रखंडों के प्रभावित किसान भाई-बहनों के लिए कृषि इनपुट अनुदान हेतु आवेदन की सुविधा

- 17 जिलों के प्रतिवेदित 206 प्रभावित प्रखंडों के 3251 पंचायतों के किसान भाइयों एवं बहनों को कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि इनपुट अनुदान दिया जा रहा है। वैसे किसान, जिनका खरीफ फसल का नुकसान हुआ है, वे ऑनलाईन आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- अत्याधिक वर्षापात से हुई फसल क्षति के लिए निम्नांकित दर से कृषि इनपुट अनुदान देय होगा :-
 - ★ वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर।
 - ★ सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर।
 - ★ शाश्वत फसल के लिए 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर।
- यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा, किसान को इस योजना के अन्तर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये अनुदान देय है।

आवेदन करने की
अंतिम तिथि 23 दिसम्बर तक
बढ़ाई गई

कृषि विभाग, बिहार सरकार के वेबसाइट www.krishi.bih.nic.in पर दिये गये लिंक DBT in Agriculture पर या <https://dbtagriculture.bihar.gov.in> पर आवेदन करने के लिए 13 अंकों की पंजीकरण संख्या का उपयोग कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रखंडों एवं पंचायतों की सूची डी०बी०टी पोर्टल पर उपलब्ध है।

3251 प्रतिवेदित पंचायतों वाले 206 प्रभावित प्रखंडों से संबंधित 17 जिलों की सूची

1. मधेपुरा	5. मधुबनी	9. बेगूसराय	13. सारण	17. गोपालगंज
2. पू० चम्पारण	6. सहरसा	10. शिवहर	14. दरभंगा	
3. भागलपुर	7. मुजफ्फरपुर	11. पू० चम्पारण	15. वैशाली	
4. खगड़िया	8. समस्तीपुर	12. सिवान	16. सीतामढ़ी	

आवेदन करने की अंतिम तिथि
23 दिसम्बर, 2020 तक

PR- 9841 (Agriculture)D. 2020-21

नोट:- अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेन्टर के टॉल फ्री नं० 18001801551 पर सम्पर्क कर सकते हैं।